शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री पंकज पुष्कर

दिनांक : 07.08.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 77

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	वजीराबाद गांव, रामघाट वजीराबाद एवं गोपालपुर गांव के मुख्य नाले/नालियों की आखिरी बार सफाई कब हुई थी;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** वजीराबाद गांव, रामघाट वजीराबाद एंव गोपालपुर गांव की नालियों की सफाई सुचारू रूप से करवाई जाती है मार्च से जून 2018 तक सभी नालियों की सफाई **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग** जहांगीरपुरी नाला एवं पूरक (Supplementary) नालों की सफाई हर वर्ष मानसून आने से पहले कर दी जाती है। **लोक निर्माण विभाग** लोक निर्माण विभाग द्वारा तथाकथित गांवों की सड़कों की देखरेख का कार्य नहीं किया जाता है।
ख	इनमें से कितने नाले/नालियां ओवर फ्लो हो रही हैं;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** वर्तमान में कोई भी नालिया ओवरफलों नही हो रही है यदि कहीं पर रूकावट के कारण नाली ओवरफलो हो जाती है या Culvert व लोगो द्वारा बनाए गए घर के बाहर रेंप के कारण ओवरफलो हो जाती है तो वहा की रूकावट को हटाकर लंबे बांस के द्वारा ओवरफलो की समस्या दूर कर दी जाती है। अगर कहीं पर मरम्मत का कार्य चल रहा है तो तब पानी को रोका जाता है लेकिन मरम्मत पूरी होने के पश्चात नाली खोल दी जाती है। **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग** इस विभाग का कोई भी नाला ओवर फलो नहीं कर रहा है। **लोक निर्माण विभाग** उपरोक्तानुसार
ग	ओवर फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार है;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** निवासियों द्वारा नालियों में फेके गए कूड़े के कारण और नालियों में कूड़ा फंसा रहने के कारण नालियां ओवरफलो हो जाती है। **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग** उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। **लोक निर्माण विभाग** उपरोक्त 'क' के अनुसार
घ	मलकागंज चौक से सब्जी मण्डी थाने तक सड़क का आरओडब्ल्यू कितना है तथा इस के दोनों ओर स्थित नालियों की स्थिति क्या है;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** मलका गंज चौक से सब्जी मंडी थाने तक सड़क के दोनो ओर नालियां नही है।
ङ	इनकी आखिरी बार सफाई कब हुई थी;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'घ के अनुसार **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग** उपरोक्त।

च	मलकागंज वार्ड में कितनी सड़कों और नालियों का रख–रखाव निगम के पास है; पूर्ण विवरण के साथ मानचित्र भी उपलब्ध करवाएं;	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u> 60 फुट से कम चौड़ी सड़क एंव उसकी नालिया नगर निगम के अधीन आती है। एरिये के बारे में जानकारी निम्न प्रकार से है:– 1. मुकीमपुरा 2. सोहनगंज 3. आर्यपुरा 4. कबीर बस्ती 5. नेहरू कुटिया 6. मल्का गंज 7. चमन गंज 8. इंदिरा मार्केट <u>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग</u> यह जानकारी इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
छ	क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों के ऊपर स्थित फुटपाथों पर नगर निगम तहबाजारी व्यवस्था के अन्तर्गत ओपन और कवर्ड दुकानें जारी करता रहा है;	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u> जी हॉ। तहबाजारी नियम अनुसार। <u>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग</u> उपरोक्त। **<u>लोक निर्माण विभाग</u>** जी हां, यह सत्य है।
ज	क्या यह भी सत्य है कि दुकान लगने के बाद फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए अपेक्षित जगह नहीं बचती;	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u> तहबाजारी के नियम अनुसार फुटपाथ पर पैदल चलने के लिए जगह छोड़ना अनिवार्य है। इस सम्बध में समय–समय पर अतिक्रमण के खिलाफ क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जाती है। <u>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग</u> उपरोक्त। **<u>लोक निर्माण विभाग</u>** जी हां, यह सत्य है।
झ	सड़क सुरक्षा मानकों के ऐसे उल्लघंन के लिए कौन जिम्मेदार है; और	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u> सड़क सुरक्षा मानको के उल्लंघन के विषय में जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है। <u>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग</u> उपरोक्त। **<u>लोक निर्माण विभाग</u>** जो विभाग तहबाजारी के अन्तर्गत दुकानों की अनुमति जारी करता है इस हेतु वही जिम्मेदार है।
ञ	सरकार द्वारा इस दिशा में क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं?	<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u> सभी पंथ विक्रेताओं के टाउन वैडिंग कमेटी द्वारा सर्वे किए जाने के उपरान्त वैडिग/हॉकिग जोन बनाकर व्यस्थित किया जायेगा। <u>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग</u> उपरोक्त। **<u>लोक निर्माण विभाग</u>** नगर निगम जो तहबाजारी के अन्तर्गत दुकानों की अनुमति जारी करता है उसका ब्यौरा लोक निर्माण विभाग को नहीं दिया जाता। अतः इस विभाग को जानकारी नहीं है।